उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

सूचना–पत्र

क्रमांक D/1222 लेखा/2023 जबलपुर, 10 मार्च, 2023

आदेशानुसार, रजिस्ट्री के समस्त द्वितीय, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा नई टैक्स रिजीम की घोषणा की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2023–2024 के लिये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। साथ ही, जो भी शासकीय सेवक पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, वे पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चयन कर सकते हैं। उनका कर निर्धारण पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार किया जावेगा।

अतएव, निर्देशानुसार, लेखा शाखा में असिस्टेंट रजिस्ट्रार (लेखा) के पास उपलब्ध रजिस्टर में अपने नाम के सामने नई अथवा पुरानी टैक्स रिजीम का चयन कर हस्ताक्षर करते हुए दिनांक 25.03.2023 तक अनिवार्यतः अपनी सहमति प्रदान करें ताकि तद्नुसार मार्च,23 से आयकर कटौत्रा प्रारंभ किया जा सके। साथ ही पुरानी रिजीम का चयन करने वाले शासकीय सेवक अपनी बचत/छूट संबंधी स्वघोषणापत्र दिनांक 25.03.2023 तक लेखा शाखा में सहायक वेतनदेयक से फार्म प्राप्त कर वहीं पर प्रस्तुत करें एवं घोषित की गई बचतों के प्रमाण दिनांक 31.01.2024 तक अनिवार्यतः जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विकल्प प्रस्तुत न करने वाले शासकीय सेवकों हेतु नई टैक्स रिजीम के अनुसार करनिर्धारण कर वसूली प्रारंभ की जावेगी।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार

10/03/23

(डी0आर0एस0 सिंगरौल)
डिप्टी रजिस्ट्रार (एम0)/डीडीओ